न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—295 / 2016 / 225 (2016 / 00295)

1. श्रीमती सपना पुत्री नारायणसिंह पत्नि सुमेरसिंह, जाति रावत, निवासी प्लॉट नं0 जी—2, बालाजी धाम तृतीय, प्लांट न0 13 जीनमाला नगर, कालवाड़ रोड़, 200 फीट बाईपास, जयपुर ।
2. राहुल सिंह पुत्र नारायण सिंह, जाति रावत, निवासी 794 / 49, महादेव नगर, पुलिस लाईन, अजमेर ।
3. प्रियंका रावत पुत्री नारायण सिंह पत्नि ओमप्रकाश सिंह, जाति रावत, निवासी जवाहर नगर बरड़ा, खानपुरा अजमेर डेयरी के पास, अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. नारायण सिंह पुत्र बिरदासिंह,
2. श्रीमती पार्वती देवी पत्नि नारायण सिंह,
   दोनों जाति रावत, निवासी गोडियावास हाल निवासी 794 / 49 महादेव नगर, पुलिस लाईन, अजमेर ।
3. श्रीमती तोफी पत्नि स्व0 बिरदासिंह, जाति रावत, नि0 ग्राम गोडियावास तहसील व जिला अजमेर ।
4. श्रीमती जमनी देवी पुत्री स्व0 बिरदा पत्नि किशनलाल, जाति रावत, निवासी विशाल भोजनालय, परबतपुरा, अजमेर ।
5. श्रीमती गंगादेवी पत्नि श्रवणसिंह पुत्री बिरदासिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम माखुपुरा नसीराबाद रोड़, अजमेर ।
6. श्रीमती गीता देवी पत्नि शंकरलाल पुत्री बिरदासिंह, जाति रावत, निवासी पीतमपुरा, नई दिल्ली—110034 (मृतक) जरिये वारिसानः—
   6 / 1— शंकरसिंह पुत्र धर्मसिंह (गीता पत्नि शंकरसिंह)
   6 / 2— संदीप पुत्र शंकरसिंह,
   6 / 3— शिवानी पुत्री शंकरसिंह,
   जाति रावत, निवासी बड़गांव, हाल निवासी जोय लेन, कुन्दन नगर, अजमेर ।
7. लक्ष्मणसिंह पुत्र बिरदासिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम गोडियावास, पोस्ट भूडोल, तहसील व जिला अजमेर ।
8. प्रभूसिंह पुत्र बिरदासिंह, जाति रावत, निवासी गोडियावास पोस्ट भूडोल, तहसील व जिला अजमेर । (मृतक) जरिये वारिसानः—
   8 / 1— श्रीमती लक्ष्मी पत्नि प्रभूसिंह,
   8 / 2— राजेन्द्रसिंह पुत्र प्रभूसिंह,
   8 / 3— श्रीमती सरिता पुत्री प्रभूसिंह,
   समस्त जाति रावत, निवासी गोडियावास, तह0 व जिला अजमेर ।
9. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा भूडोल, जरिये प्रबंधक ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 16.6.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 26 / 2013.

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

उपस्थितः—

1. श्री अजीत सिंह राठौड़, वकील अपीलांटस ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 से 5, 6/1 से 6/3, 8/1 से 8/3 व 9 अनुपस्थित ।
3. रेस्पो0 संख्या 7 बावजूद सूचना के अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 10.

निर्णय

दिनांकः— 25.8.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 16.6.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्या0 के समक्ष प्रतिवादीगण/रेस्पो0 एवं राज्य सरकार के विरूद्ध राजस्व वाद वास्ते उद्घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इंद्राज प्रस्तुत किया जिसके साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर कथन किया कि वादीगण/अपीलांटस एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8/रेस्पो0 एक ही परिवार के सदस्य है । वादीगण/अपीलांटस एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8/रेस्पो0 की प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार कुल किता 16 कुल रकबा 2.31 है0 भूमियां खातेदारी काश्तकारी की आराजियात ग्राम गोडियावास, तहसील व जिला अजमेर में स्थित है। वादग्रस्त आराजियात वादीगण के दादा बिरदा की पुश्तैनी आराजियात है जो पक्षकारान को विरासत में प्राप्त हुई है । चूंकि बिरदा के वारिसान में वादी गण की दादी श्रीमती तोफी तथा तीन पुत्र एवं तीन पुत्रियां है जिनका प्रत्येक का 1/7, 1/7 हिस्सा विवादित भूमि में निहित है एवं वादीगण के पिता नारायणसिंह का 1/4, 1/4 हिस्सा निहित है । अर्थात् कुल आराजियात में प्रत्येक वादी का 1/28, 1/28 हिस्सा निहित है एवं पिता नारायणसिंह के 1/28 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 दोनों बराबर हक के अधिकारी है क्योंकि माता–पिता दोनों का एक ही हिस्सा होता है । वादीगण की दादी श्रीमती तोफी एवं पिता नारायणसिंह तथा तीनों बुआ यथा श्रीमती जमनी, श्रीमती गंगादेवी एवं श्रीमती गीता द्वारा विवादित पुश्तैनी भूमि में निहित अपने–अपने हिस्सा का लक्ष्मणसिंह व प्रभूसिंह के हक में जरिये पंजीकृत हक त्यागनामा दिनांक 13.12.2011 के तहत हक त्याग कर दिया है जबकि वादीगण के पिता नारायणसिंह द्वारा अपना संपूर्ण 1/7 हिस्सा हक त्याग नहीं किया जा सकता था क्योंकि पुत्र–पुत्रियों का पुश्तैनी भूमि में जन्म से ही अधिकार निहित हो चुका है जिससे प्रतिवादी संख्या 1 के 1/7 हिस्से में से 3/4 हिस्सा वादीगण का निहित है जिससे प्रतिवादी संख्या 1 मात्र कुल भूमि के 1/28 हिस्से का ही हक त्याग कर सकता था एवं शेष वादीगण के हिस्से की हद तक निष्पादित हक त्यागनामा प्रथम दृष्टया अवैध एवं शून्य है जिससे विवादित भूमि में निहित वादीगण प्रत्येक के 1/28–1/28 हिस्से का वादीगण प्रत्येक को खातेदार घोषित किया जाना वांछित है । इस प्रकार वादीगण/अपीलांटस के हिस्से की आराजियात तक प्रतिवादीगण/रेस्पो0 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद पाबंद किया जावे । अधी0न्या0 ने निर्णय दिनांक 16.6.2016 द्वारा वादीगण/अपीलांटस का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने लोक अदालत कैम्प न्याय आपके द्वार अभियान, ग्राम गोडियावास में सुनवाई की जाने से पूर्व अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जिससे पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अधी0न्याया0 द्वारा वादपत्र संख्या 37/2013 बाबत् नोटिस दिनांक 6.7.2016 को उपस्थित होने हेतु कैम्प कोर्ट का स्थान भूडोल अंकित किया। उक्त नोटिस भी अपीलांटस को तामील नहीं करवाया गया एवं उक्त दिनांक से पूर्व दिनांक 16.6.2016 को पत्रावली कैम्प कोर्ट गोडियावास ले जाकर अपीलांटस को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र संख्या 26/2013 अवैधानिक रूप से निरस्त कर दिया जो विधिक प्रक्रिया के विरूद्ध है । पंजीकृत हक त्यागनामा के आधार पर सहखातेदारान के काश्तकारी स्वत्वों का अवसान नहीं होता है ना ही धारा 63 राज0काश्त0अधि0 में हक त्याग के आधार पर काश्तकारी स्वत्व अवसादित होने बाबत् ही प्रावधान है । जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आर0बी0जे0 2008 पेज 447 एवं आर0बी0जे0 2011 पेज 225 पर सिद्धांत प्रतिपादित किये गये है । इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजरअदांज कर अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र निरस्त करने मे त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि सहकृषक किसी विशिष्ठ सहकृषक के हक में हकत्याग नहीं कर सकता है । इस संबंध में आर0आर0टी0 2014 पार्ट–1 पेज 509 तथा ए0आई0आर0 2003 पेज 498 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया । इस प्रकरण में सहखातेदार द्वारा लक्ष्मणसिंह एवं प्रभूसिंह के हक में निष्पादित हक त्याग पत्र कतई अवैधानिक होकर प्रथम दृष्टया शून्य है जिनके आधार पर अपीलांटस के पुश्तैनी आराजियात में निहित काश्तकारी स्वत्व नष्ट नहीं होते है । वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी आराजियात है जिस पर अपीलांटस के जन्म से ही हिस्सा निहित हो चुका है लेकिन त्रुटिपूर्ण प्रविष्ठि की आड़ में रेस्पो0 द्वारा अपीलांटस को उनके हिस्से की भूमि से महरूम करने के इरादे से रेस्पो0 के मध्य आपस में ही हक त्याग नामा निष्पादित किए गए है जिनके आधार पर अपीलांटस के पुश्तैनी भूमि में निहित काश्तकारी स्वत्व कतई अवसादित नहीं होते है इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजरअंदाज कर आदेश अंतर्गत अपील पारित किया है जो निरस्तनीय है । वादग्रस्त आरायिजात पुश्तैनी होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं कब्जे का सिद्धांत तथा धारा 212 के समस्त घटक अपीलांटस के हक में स्वंय सिद्ध है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 10 ने बहस में कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में राज्य सरकार फोर्मल पक्षकार है । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 पेश कर कथन किया था कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 एक ही परिवार के सदस्य है । प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात ग्राम गोडियावास, तहसील अजमेर कुल किता 16 कुल रकबा 2.31 है0 प्रार्थीगण के दादा बिरदा की पुश्तैनी आराजियात

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

है जो पक्षकारान को विरासत में प्राप्त हुई है । चूंकि बिरदा के वारिसान में प्रार्थीगण की दादी श्रीमती तोफी तथा तीन पुत्र एवं तीन पुत्रियां है जिनका प्रत्येक का 1/7, 1/7 हिस्सा विवादित आराजियात में निहित है। इस प्रकार विवादित आरायियात में प्रार्थीगण के पिता नारायणसिंह का भी 1/7 हिस्सा निहित है । उक्त 1/7 हिस्से में प्रत्येक प्रार्थी का 1/4, 1/4 हिस्सा निहित है अर्थात् कुल आराजियात में प्रत्येक प्रार्थी का 1/28, 1/28 हिस्सा निहित है एवं पिता नारायण सिंह के 1/28 हिस्से में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 दोनों बराबर के हक अधिकारी है क्योंकि माता–पिता दोनों का एक ही हिस्सा होता है । प्रार्थीगण की दादी श्रीमती तोफी एवं पिता नारायणसिंह तथा तीनों बुआ यथा श्रीमती जमनी, गंगादेवी व गीता द्वारा विवादित पुश्तैनी भूमि में निहित अपने–अपने हिस्से का लक्ष्मणसिंह व प्रभूसिंह के हक में जरिये पंजीकृत हक त्यागनामा दिनांक 13.12.2011 के तहत हक त्याग कर दिया है जबकि प्रार्थीगण के पिता नारायणसिंह द्वारा अपना संपूर्ण 1/7 हिस्सा हक त्याग नहीं किया जा सकता था क्योंकि पुत्र–पुत्रियों का पुश्तैनी भूमि में जन्म से ही अधिकार निहित हो चुका था । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात ग्राम गोडियावास की जमाबंदी संवत् 2067 से 2072 में बिरदा वल्द देवा कौम रावत के नाम खातेदारी से दर्ज थी । विरासत नामांतकरण संख्या 9 दिनांक 5.12.2011 से मृतक बिरदा के स्थान पर तोफी पत्नि बिरदा, नारायणसिंह, लक्ष्मणसिंह, प्रभूसिंह पि0 बिरदा व जमनीदेवी, गंगादेवी, गीतादेवी पुत्रियां बिरदा कौम रावत के नाम अंकन स्वीकार किया गया है । राजस्व रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि पक्षकारान की पुश्तैनी आराजियात है । विवादित भूमि पुश्तेनी होने से प्रार्थीगण/अपीलांटस के पिता अपने 1/7 हिस्से संपूर्ण का हक त्याग करने के अधिकारी थे अथवा नहीं इन सब तथ्यों का निर्धारण मूल वाद में बाद साक्ष्य किया जावेगा किन्तु प्रथम दृष्टया विवादित आराजियात पुश्तैनी होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दु अपीलांटस के पक्ष में पाये जाते है। वादग्रस्त आराजियात में अपीलांटस के हिस्से तक वादग्रस्त आराजियात की सुरक्षा हेतु अप्रार्थीगण/रेस्पो0 को वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.6.2016 निरस्त किया जाता है तथा अप्रार्थीगण/रेस्पो0 को ताफैसला मूल वाद इस अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजियात में रेस्पो0 संख्या 1 नारायणसिंह के 1/7 में से अपीलांटस के निहित हिस्से तक रहन, बेचान, मुन्तकिल, हस्तातंरण इत्यादि नहीं करे तथा मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 25.8.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर